

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन

प्रलिस के लिये:

मानव-वन्यजीव संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, FAO, UNDP

मेन्स के लिये:

मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित मुद्दे और उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में मानव-वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें [मानव-वन्यजीव संघर्ष](#) के मुद्दे का हल निकालने के लिये लगभग 70 देशों के हजारों कार्यकर्ता एकजुट हुए।

- यह सम्मेलन [अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ](#) (International Union for Conservation of Nature- IUCN), [खाद्य एवं कृषि संगठन](#) (Food and Agriculture Organization- FAO), [संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम](#) (UN Development Programme) और अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया था।

प्रमुख बडि

- मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान हेतु कार्य करने वाले लोगों और संस्थानों के बीच साझेदारी तथा सहयोग के विषय पर **पञ्चापसी संवाद और समझ वकिसति करने के लिये सुविधा प्रदान करना**।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सह-अस्तित्व और बातचीत के क्षेत्र से नवीनतम अंतरदृष्टि, प्रौद्योगिकियों, वधियों, विचारों एवं सूचनाओं की **अंतःविषयक और साझा समझ वकिसति करना**।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष जैवविविधता संरक्षण और अगले दशक के लिये निर्धारित **सतत विकास लक्ष्यों** में शीर्ष वैश्विक प्राथमिकताओं में से एक है, यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा वैश्विक नीतियों तथा पहलों पर एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने और इसमें कमी लाने के लिये **समझ और नष्टिपादन भिन्नताओं** की समस्या के निपटान हेतु एक सामूहिक कार्ययोजना वकिसति करना।

सम्मेलन की आवश्यकता का कारण:

- मानव-वन्यजीव संघर्ष विश्व भर में विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, सह-अस्तित्व और जैवविविधता की सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रमुख चुनौती है।
 - [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम](#) के अनुसार, इस संघर्ष से विश्व भर में 75 फीसदी से अधिक जंगली बल्लियों की प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- यह "पारस्थितिकी, पशु व्यवहार, मनोविज्ञान, कानून, संघर्ष का विश्लेषण, मध्यस्थता, शांति निर्माण, अंतरराष्ट्रीय विकास, अर्थशास्त्र, नृ-विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को समझने, एक-दूसरे से सीखने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
 - दिसंबर 2022 में जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में सहमत [कुनमि-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क](#) के लक्ष्य-4 में मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रभावी प्रबंधन निर्धारित किया गया है।

मानव-पशु संघर्ष:

- परिचय:
 - मानव-पशु संघर्ष उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ मानव गतिविधियों, जैसे कृषि, बुनियादी ढाँचे का विकास या संसाधन नष्टिकरण, में वन्य पशुओं के साथ संघर्ष की स्थिति होती है, इसकी वजह से मानव एवं पशुओं दोनों के लिये नकारात्मक परिणाम

सामने आते हैं।

■ **प्रभाव:**

- **आर्थिक क़षति:** मानव-पशु संघर्ष के परिणामस्वरूप लोगों, विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों को महत्वपूर्ण आर्थिक क़षति हो सकती है। वन्य पशु फसलों को नष्ट कर सकते हैं, बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा पशुधन को हानि पहुँचा सकते हैं जिससे वित्तीय कठिनाई हो सकती है।
- **मानव सुरक्षा के लिये खतरा:** जंगली जानवर मानव सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ मानव और वन्यजीव सह-अस्तित्व में रहते हैं। शेर, बाघ और भालू जैसे बड़े शिकारियों के हमलों के परिणामस्वरूप गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है।
- **पारस्थितिक क़षति:** मानव-पशु संघर्ष पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिये यदि मानव शिकारी-पशुओं को मारते हैं तो शिकार-पशुओं की आबादी में वृद्धि हो सकती है, जो पारस्थितिक असंतुलन का कारण बन सकती है।
- **संरक्षण चुनौतियाँ:** मानव-पशु संघर्ष भी संरक्षण प्रयासों के लिये एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इससे वन्यजीवों की नकारात्मक धारणा हो सकती है तथा संरक्षण उपायों को लागू करना कठिन हो सकता है।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** मानव-पशु संघर्ष का लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों पर जिन्होंने हमलों या संपर्क के नुकसान का अनुभव किया है। यह भय, चिंता और आघात का कारण बन सकता है।

■ **सरकारी उपाय:**

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** यह अधिनियम गतिविधियों, शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीव आवासों के संरक्षण एवं प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **जैव विविधता अधिनियम, 2002:** भारत **जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** का एक हिस्सा है। जैवविविधता अधिनियम के प्रावधान वनों या वन्यजीवों से संबंधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (वर्ष 2002-2016):** यह संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मज़बूत करने के साथ उन्हें बढ़ाने, लुप्तप्राय वन्यजीवों एवं उनके आवासों के संरक्षण, वन्यजीव उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करने तथा अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
- **प्रोजेक्ट टाइगर:** प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिये आश्रय प्रदान करती है।
- **प्रोजेक्ट एलीफेंट:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवासों एवं उनके गलथियों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 में शुरू की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

🔍 **मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण**

- ◆ कृषि संबंधी विस्तार
- ◆ शहरीकरण
- ◆ अवसंरचनात्मक विकास
- ◆ जलवायु परिवर्तन
- ◆ वन्यजीवों को आबादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

🔍 **मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव**

- ◆ गंभीर चोटें, जीवन की हानि
- ◆ खेतों और फसलों को नुकसान
- ◆ जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकसित किया जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसॉर्ट्स को बंद करने को पुष्टि की गई थी।

🔍 **मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)**

- ◆ समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- ◆ मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवजा (पीएम फसल बीमा योजना)
- ◆ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- ◆ पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना


🔍 **राज्य-विशिष्ट पहलें**

- ◆ **उत्तर प्रदेश-** मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- ◆ **उत्तराखंड-** क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायो-फेंसिंग की जाती है
- ◆ **ओडिशा-** जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना

मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

बाघ

	2019	2020	2021
बाघों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बाघों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बाघों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बाघों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बाघों की मृत्यु	17	8	4
जन्ती	10	7	13



हाथी

	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
देनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आघात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2



वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न. वाणजिय में प्राण-जिात और वनस्पत-जिात के व्यापार-संबंधी वशिलेषण (TRAFFIC) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:
(2017)

1. TRAFFIC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत एक ब्यूरो है।
2. TRAFFIC का मशिन यह सुनश्चिति करना है कविन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृतिके संरक्षण का खतरा न हो।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वाणजिय (TRAFFIC/ट्रैफिकि) में जीवों और वनस्पतियों का व्यापार संबंधित वशिलेषण, वन्यजीव व्यापार नगिरानी नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (World Wide Fund for Nature- WWF) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृतिसंरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। यह UNEP के तहत ब्यूरो नहीं है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- TRAFFIC यह सुनश्चिति करता है कविन्य पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृतिके संरक्षण हेतु खतरा नहीं है। **अतः कथन 2 सही है।**
- TRAFFIC बाघ के अंगों, हाथी दाँत और गैंडे के सींग जैसे नवीनतम वशिव स्तर पर आवश्यक प्रजातियों के व्यापार के मुद्दों, संसाधनों, वशेषज्जता और जागरूकता पर केंद्रित है। इसमें लकड़ी एवं मत्स्य उत्पादों जैसे सामानों में बड़े पैमाने पर वाणजियिक व्यापार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है, साथ ही यह त्वरति परणाम तथा नीति उन्नयन के प्रयासों से संबंधित है।

अतः विकल्प (b) सही है।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/conference-on-human-wildlife-conflict>